हैनरी फेयोल ने प्रशासनिक तत्व इस प्रकार बताये हैं:-
(a) नियोजन (Planning) (b) संगठन (organization) (c) कर्मचारीगण staffing (d) निर्देशन (Direction) (e) सम-वयीकरण (coordination) (f) प्रतिवेदन (Reporting) तथा (g) बजट (Budgeting).

शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता:-

सामान्यतः शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान में निम्न कारणों से आवश्यकता मानी जाती है।

(1) शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना - शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रशासन अनेक कार्यक्रम बनाता है। इन कार्यक्रमों को वह लागू करता है।

(2) समाज के लक्ष्यों की पहिचान - शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता इसलिए भी है कि वह शैक्षिक कार्य तथा नियोजन में समाज की आवश्यकता की पहिचान है। समाज में रीति रिवाजों, प्रथाओं, आदर्शों, आशा तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक कार्यक्रम का निर्माण करता है।

(3) शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन:- समाज की आवश्यकता तथा शैक्षिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में बालकों तथा अभिभावकों के लिए शैक्षिक, कार्यक्रमों का नियोजन करने के लिए भी प्रशासन की आवश्यकता होती है।

(4) साधनों का उपयोग:- शैक्षिक लक्ष्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि उपलब्ध साधनों का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाता। शिक्षा प्रशासन, क्रियान्वयन अभिकरण को समस्त साधन उपलब्ध कराता है।

(5) समन्वय तथा नियंत्रण:- शिक्षा प्रशासन समस्त प्र साधनों का समन्वय तथा उनके उपयोग पर नियंत्रण करता है समन्वय व नियंत्रण से कुशलता विकसित होती है। दोहराव नहीं होता है।

(6) मूल्यांकन:- शिक्षा प्रशासन निष्पत्ति के सन्दर्भ में अपने क्रियाकलापों तथा परिणामों का मूल्यांकन करता है वह इस बात का पता लगाता है कि शिक्षा के कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहे और भावी प्रगति के लिए उसमें क्या सुधार किये जा सकते हैं।

Scanned by CamScanner

National Council of Educational Research and Training
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद)

माध्यमिक शिक्षा आयोग - 1953 की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रकाशित होने के तुरन्त बाद ही भारत सरकार ने विद्यालयी शिक्षा के सुधार पर ध्यान दिया। शिक्षा चूँकि राज्यों का विषय है अतः के-द्र ने राज्यों के साथ बड़े ही सहयोग से कार्य किया। केन्द्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना ( ) पहले ही हो चुकी थी जिसका मुख्य कार्य माध्यमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देना था। सन 1954 ई० से अनेक संस्थाओं का प्रारम्भ हुआ जैसे -

ⓐ केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक अनुसन्धान के-द्र
ⓑ शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन संस्थान
ⓒ आल इंडिया माध्यमिक शिक्षा परिषद
ⓓ राष्ट्रीय बेसिक संस्थान
ⓔ राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य शिक्षा संस्थान आदि

सन 1961 में ये सभी संस्थाएँ एक स्वायत्त संगठन के तहत एक साथ मिला दी गई। यह संगठन जिसकी स्थापना सितम्बर 1961 ई० में हुई थी "राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद" (NCERT) के नाम से जाना गया।

NCERT की रचना :-

इस परिषद में निम्न सदस्य होते है -

(1) अध्यक्ष :- शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री।
(2) सभापति :- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति (भूतपूर्व)
(3) सचिव :- शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय के सचिव (भूतपूर्व)
(4) विश्वविद्यालयों से चार कुलपति जो प्रत्येक अंचल से भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे।
(5) प्रत्येक राज्य सरकार और विधान मण्डल के साथ संयोग राज्य क्षेत्र से एक-2 प्रतिनिधि जो कि शिक्षा मंत्री होगा (या उसका प्रतिनिधि)
(6) कुछ अन्य ऐसे व्यक्ति (अधिक से अधिक बारह) जिनको भारत सरकार समय-2 पर मनोनीत करती है। इनमें से कम से कम चार विद्यालयी अध्यापक होते है।
(7) प्रबन्धक समिति के सभी सदस्य जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।

Scanned by CamScanner

परिषद् में एक पूर्णकालिक निदेशक और एक संयुक्त निदेशक होते हैं जो दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को देखते हैं। परिषद् की दो महत्वपूर्ण समिति होती है, अर्थात् प्रबन्धक समिति और कार्यक्रम सलाहकार समिति

NCERT के कार्य :-

इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार है—

(1) विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की सहायता करना।
(2) आवश्यक अनुसन्धानों, प्रयोगी, पायलट परियोजनाओं उच्च प्रशिक्षण और प्रसार सेवाओं का विकास करना।
(3) केन्द्रीय मन्त्रालय और राज्य शैक्षिक विभागों तथा विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बनाये रखना।

इन कार्यों को पूरा करने के लिए एन० सी० ई० आर० टी० शैक्षिक अध्ययनों, अनुसंधानों तथा सर्वेक्षणों का संगठन करती है। उच्चस्तरों की सेवापूर्व और सेवा कालीन प्रशिक्षण करता है, संस्थाओं के लिए विस्तार सेवाओं का संगठन करता है, उन्नत शैक्षिक तकनीक का प्रचार करता है, राज्य शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की सहायता करता है, पुस्तकों, आवधिक पत्रिकाओं तथा अन्य शैक्षणिक साहित्य का प्रकाशन करता है तथा विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित सभी विषयों पर विचारों और सूचनाओं के शोधन-गृह (Clearing House) के रूप में कार्य करता है।

Scanned by CamScanner

मानव ससांधन विकास मंतालय (M.H.R.D)

मानव विकास मंतालय, भारत सरकार का एक मंतालय है। मानव ससांधन मंतालय पूर्व में शिक्षा मंतालय (25 Sep. 1985 ई० तक) भारत में मानव ससाधनो के विकास के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में इस मंतालय के उत्तरदायी मंत्री डा० रमेश पोखरियाल निशंक है। मंतालय को दो विभागो में बांटा गया है।

① स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
② उच्च शिक्षा विभाग

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के विकास के लिए जिम्मेदार है यह "शिक्षा के सार्वभौमिकरण" और भारत के युवाओ में नागरिकता के लिए उच्च मानको की खेती के लिए काम करता है।

उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक और उच्च-माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी है। विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C) को अधिनियम, 1956 देने का अधिकार है।

Scanned by CamScanner

उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है। विभाग देश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विश्वस्तरीय अवसरों में लगा हुआ है, ताकि भारतीय छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच के साथ सामंजस्य में कोई समस्या न आये। इसके लिए सरकार ने संयुक्त उद्यम शुरू किया है और भारतीय छात्रों को विश्व स्तर से लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

केन्द्र सरकार वित्त पोषित संगठन राज्य सरकार। राज्य वित्त पोषित संगठन और स्ववित्तपोषित संस्थान - तकनीकी शिक्षा प्रणाली मोटे तौर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। विभाग को आठ ब्यूरो में विभाजित किया गया है।

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; अल्पसंख्यक शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
शिक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (ERDO)
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR)
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR)
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला (IIAS)
11.09.2015 को 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय UGC द्वारा जारी की गई सूची

तकनीकी शिक्षा
प्रशासन और भाषाएं
विविध

उद्देश्य

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि यह पूरे राष्ट्रीय भावना से पूरे देश में लागू हो। देश में शिक्षण संस्थानों की पहुंच और सुधार सहित योजनाबद्ध विकास उन क्षेत्रों में

Scanned by CamScanner

शामिल है जहाँ लोगों कि आसानी से पहुँच उपलब्ध नहीं है, गरीबो, महिलाओ और अल्पसंख्यको जैसे वंचित समूहो पर विशेष ध्यान देना। छात्रवृति, ऋण, सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करें। समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को योग्य बनाना। यूनेस्को और विदेशी सरकारो के साथ-साथ विश्वविद्यालयो, शिक्षा के क्षेत्र में देश की शिक्षा के अवसरों सहित, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ मिलकर काम करने, सहित उद्देश्य शामिल है।

Scanned by CamScanner